6-MPR009/2022-BHO

1/48736/2023



भारत सरकार IGOVERNMENT OF INDIA पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/ REGIONAL OFFICE, BHOPAL



18 /07/2023

Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,

BHOPAL - 462016 (M.P.)

TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

दिनांक :

क्रमांकः ६-एमपीआर 009/2022-बीएचओ/

प्रति.

प्रधान सचिव (वन) मध्यप्रदेश शासन,

वल्लभ भवन, भोपाल (मध्यप्रदेश) ।

अनूपपुर जिले के अन्तर्गत वनमण्डल अनूपपुर में अमरकंटक ताप विद्धुत गृह चचाई में 1 X 660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल इकाई की स्थापना-इकाई के उपसंगीय निमार्ण कार्य हेतु 6.171 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि कार्यपालन अभियंता (सिविल) निर्माण संभाग-विषय: 2, म.प्र. पावर जनरेंटिंग कम्पनी लिमिटेड को उपयोग पर देने बाबत ।

1.नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश का पत्रांक एफ-4/41/2022/10-11/1646 दिनांक 24/04/2023.

2.आर्.ई.सी. कार्यवृत्त क्र. 6-REC10/2014-BHO/Part-III/256 दिनांक 15/07/2023.

महोदय,

संदर्भ:

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित आर.ई.सी. बैठक दिनांक 07/07/2023 को आयोजित की गयी । बैठक में लिये गये निर्णय एवं कार्यवृत्त दिनांक 15/07/2023

(संदभित पत्र-2) अनुसार अन्य वांछित जानकारी/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है जो कि निम्नलिखित है:-

- The concerned DFO shall re-visit the area and submit Site Inspection Report along with status of violation (if any) of the proposed diversion area. 1.
- Compliance report of previous approval letter dated 08/06/2006 under F(C)A.
- The State Forest Department/ User Agency shall submit a copy of Environmental Clearance and 2. 3. their compliance report.
- The User Agency/ State Forest Department shall submit/ upload entire KML file of forest area and non-forest area of the project (in different colours) which is obtained by User Agency from Govt. of 4. M.P./Govt. of India.

The Regional Office, Bhopal shall monitor the project and submit status report on the conditions 5. imposed in Environmental Clearance.

Component wise breakup of proposed diversion area shall be submitted.

6. Muck calculation details shall be submitted. 7.

उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के पश्चात ही प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

भवदीय

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपिः प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, सतपुडा भवन, भोपाल ।

Signed by Hare Ram Kumar Date: 18-07-2023 17:45:59 Reason: Approved